हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 69/2018 अनवान रूपाराम बनाम पदमाराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उदेश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र गालाबेरी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनाक 06.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र गालाबेरी पर पत्रावली पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	
06.06.2018	यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र गालाबेरी मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी मे प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित हाने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल मे लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा खेतावास पटवार क्षैत्र शिवकर के खसरा नम्बर 860/532 रकबा 15.03 बीधा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। उपस्थित अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा आवेदित भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रकट नही की है। अतः मौजा खेतावास पटवार क्षैत्र शिवकर के खसरा नम्बर 860/532 रकबा 15.03 बीधा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल मे खडी फसल पर सीमाकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पाच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner